क्रमांक 4112275 / विविध / छ.ग. / 2019 / पार्ट–II / 12969

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ-भवन
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

दिनांक 10 / 10 / 2019

प्रति,

1. मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
2. मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
3. मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर।
4. मुख्य अभियंता, मिनीमाता (बांगो) परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर।
5. मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर।
6. मुख्य अभियंता (प्रबो.) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, अटल नगर, रायपुर।
7. परियोजना प्रशासक, महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर।
8. परियोजना प्रशासक, हसदेव आयाकट विकास प्राधिकरण, बिलासपुर।
9. अधीक्षण अभियंता (प्रशा.) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, अटल नगर, रायपुर।
10. अधीक्षण अभियंता (बोधी) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, अटल नगर, रायपुर।
11. अधीक्षण अभियंता (MIS) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, (स्टेट डाटा सेन्टर द्वितीय तल) रायपुर ।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4 (1) (ख) व भ्रष्ट लोक सेवकों तथा अन्य विषयों के संदर्भ में ज्ञापन पत्र।

संदर्भ :– छत्तीसगढ़ आर.टी.आई. संघ से प्राप्त ज्ञापन दिनांक 03 / 10 / 2019

-----00-----

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ आर.टी.आई. संघ से प्राप्त ज्ञापन की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। प्रकरण में उल्लेखित संबंधित बिन्दुओं पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, एवं कि गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
03/10/19 अटल नगर, रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक 4112275 / विविध / छ.ग. / 2019 / पार्ट–II / रायपुर, दिनांक / 10 / 2019
प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) को संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ।
2. कार्यपालन अभियंता, सूचना प्रबंधन प्रणाली (MIS) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, स्टेट डाटा सेंटर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृपया विभाग से संबंधित जानकारी विभागीय वेबसाईट में अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार। (स.क्र. 1 हेतु)

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर

सूचना के अधिकार के लिए कार्यरत संस्था

f YouTube

छत्तीसगढ़ आर.टी.आई. संघ

RIGHT to INFORMATION
MY RIGHT, MY MIGHT
THE RIGHT TO KNOW
KEEPING GOV'T ACCOUNTABLE

साँई सदन, बंधवापारा, पुरानीबस्ती, रायपुर (छ.ग.) मो.-79998-27209, 94255-20385, 73549-79591

प्रदेश अध्यक्ष
अनिल अग्रवाल

प्रदेश उपाध्यक्ष
नेहरु दूतकामड़ी

प्रदेश महासचिव
लक्ष्मीकांत निर्णेजक, बिलासपुर

प्रदेश संयुक्त सचिव
विनय अग्रवाल, बिलासपुर

जिलाध्यक्ष, बालोद
गजेन्द्र साहू

जिलाध्यक्ष, जांजगीर-चांपा
नथराम कुर्रे

जिला उपाध्यक्ष, जांजगीर-चांपा
रामलक्ष्मण धीवर

जिलाध्यक्ष, धमतरी
परमानंद कुर्रे

जिलाध्यक्ष, रायगढ़
रफी अहमद कुरैशी

प्रदेश कार्यालय प्रभारी
प्रेम नारायण कन्नौजे

पत्र क्रमांक........ दिनांक ....

3–10–2019

प्रति

O/C

श्री जयंत पवार जी–प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटलनगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय :– सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4–1–ख व भ्रष्ट लोक सेवकों तथा अन्य विषयों के संदर्भ में ज्ञापन पत्र।

महोदय

निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4–1–ख को गत 14 वर्षों से जानबूझकर लागू नहीं किया जा रहा है जिस पर निम्न बिन्दुओं पर पर आपसे कार्यवाही की मांग है।

1. जो–जो जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने केबिन के बाहर अपना नाम व बोर्ड नहीं लगाया है उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाये।

2. वे जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी जो कोई न कोई कारण बताकर सूचना के अधिकार के आवेदनों को खारिज कर देते हैं जिसका खारिज का प्रतिशत 60 प्रतिशत से अधिक है उन आवेदनों की जांच की जाए।

3. जिन लोक सेवकों के विरुद्ध गंभीर वित्तीय अनियमितता जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो तथा छत्तीसगढ़ लोक आयोग व पुलिस में कोई मामला दर्ज कर दिया है उन्हें निलंबित करं अनुशंसा आपके द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को किया जाये।

4. कई बार कुछ लोक सेवकों के द्वारा माननीय न्यायालयों में सूचना के अधिकार के आवेदकों तथा कार्यकर्ताओं को ब्लेक मेलर कहा गया है जिसे न्यायालय ने नहीं माना ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर कार्यवाही की अनुशंसा हेतु पत्र लिखा जाना चाहिए।

5. कुछ ऐसे सब इंजीनियर, एस.डी.ओ. व अन्य लोक सेवक हैं जो मुख्यालय से नदारद 20–25 किलोमीटर से भी अधिक दूर से आना–जाना करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही किया जाये।

6. अनेकों कार्यालयों में वर्षों से जमे लोक सेवकों को जिले तथा संभाग से बाहर पदस्थापना किया जाये।

क्रमशः

सूचना के अंधिकार के लिए कार्यरत संस्था

f YouTube

छत्तीसगढ़ आर.टी.आई. संघ

RIGHT to INFORMATION
MY RIGHT, MY MIGHT.
THE RIGHT TO KNOW
KEEPING GOV'T ACCOUNTABLE

साँई सदन, बंधवापारा, पुरानीबस्ती, रायपुर (छ.ग.) मो.-79998-27209, 94255-20385, 73549-79591

प्रदेश अध्यक्ष
अनिल अग्रवाल

प्रदेश उपाध्यक्ष
नेहरु दूतकामड़ी

प्रदेश महासचिव
लक्ष्मीकांत निर्णेजक, बिलासपुर

प्रदेश संयुक्त सचिव
विनय अग्रवाल, बिलासपुर

जिलाध्यक्ष, बालोद
गजेन्द्र साहू

जिलाध्यक्ष, जांजगीर-चांपा
नथराम कुर्रे

जिला उपाध्यक्ष, जांजगीर-चांपा
रामलला धीवर

जिलाध्यक्ष, धमतरी
परमानंद कुर्रे

जिलाध्यक्ष, रायगढ़
रफी अहमद कुरैशी

प्रदेश कार्यालय प्रभारी
प्रेम नारायण कन्नौजे

पत्र क्रमांक.........

दिनांक ....
3–10–2019

7. विभिन्न समाचार पत्रों, मीडिया, आर.टी.आई. कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा अनेकों शिकायत विभिन्न कार्यालय में लंबित है जिसे बाद में धीरे से यह लेख कर नस्तीबद्ध कर दिया जाता है कि शिकायत झूठी, भ्रामक एवं तथ्यहीन है जो कि पूर्ण रुप से भ्रष्ट लोक सेवकों को बचाने की मंशा से झूठा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है ऐसे झूठे जांच प्रतिवेदनों पर कार्यवाही किया जाये।

8. विभिन्न कार्यालयों में अनेकों आवेदकों द्वारा सूचना के अधिकार के तहत कैशबुक, बिल (अंतिम देयक/चल देयक), वित्तीय स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति आबंटन, प्राक्कलन, चेकड्रान लिस्ट, लागबुक तथा शासकीय वाहन की डीजल पर्ची एवं दौरा दैयनंदनी मांगी जाती है जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिये जाने वाले दस्तावेज हैं इसका स्पष्ट आदेश सभी जनसूचना अधिकारियों को दिया जाये।

9. अन्य जो कि पूर्व में कई बार आपसे चर्चा के दौरान निवेदन किया गया था। सह पत्र के साथ संलग्न है।

10. सभी जांच कार्यवाहियों में छत्तीसगढ़ आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं को भी रखा जाए तथा उनके समक्ष जांच प्रतिवेदन बनाया जाये।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त 1 से लेकर 10 तक के बिन्दु पर ठोस कार्यवाही करते हुए जो प्रमुख अभियंता के अधिकार क्षेत्र में है उस पर कठोरता से कार्यवाही करें तथा जो छत्तीसगढ़ शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने हैं उसे आपके द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेजा जाये।

यदि 10 दिनों के अंदर कंडिका 1 से 10 तक की मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं होती है तो 10 दिन के बाद मतलब 13–10–2019 के बाद भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ संवैधानिक तरीके से धरना–प्रदर्शन, आंदोलन किया जाएगा।

कोर कमेटी के सदस्य

अनिल अग्रवाल	नेहरु दूतकामड़ी	राजेश कदम
लक्ष्मीकांत निर्णेजक	विनय अग्रवाल	गजेन्द्र साहू
नथराम कुर्रे	परमानंद कुर्रे	प्रेमनारायण कन्नौजे

PREM

03/X/19